सीखो और कमाओ
Learn & Earn

अल्पसंख्यकों के लिए
कौशल विकास पहल

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
जून, 2013

1.6 हालांकि भारत में युवाओं की जनसंख्या काफी अधिक है, लेकिन 10% भारतीय श्रमिक बलों – 8% अनौपचरिक तौर पर तथा 2% औपचरिक तौर पर – ने ही व्यवसायिक कौशल प्राप्त किया है। लगभग 63% स्कूली छात्र कक्षा दस तक आते–आते विभिन्न चरणों पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। देश में लगभग 3.1 मिलियन व्यवसायिक प्रशिक्षण सीटें ही उपलब्ध हैं, जबकि लगभग 12.8 मिलियन व्यक्ति हर साल श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। यहां तक कि इन प्रशिक्षण स्थलों के लिए, बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ देने वाले कुछ ही बच्चे उपलब्ध हो पाते हैं। इससे पता चलता है कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की एक बड़ी संख्या एक ओर अपनी रोजगार परकता में सुधार लाने के लिए कौशल तक पहुंच नहीं रखती है, वहीं दूसरी ओर 12.8 मिलयन नौकरियां उपलब्ध होती हैं। वर्ष 2011 के आकलनों के अनुसार, भारत में 21 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 244 मिलियन का कौशल अंतर है।

1.7 सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुसार, देश उच्च विकास की अवस्था से गुजर रहा है। यह समय अल्प–सुविधाप्राप्त लोगों को कौशल विकास एवं शिक्षा के माध्यम से नए अवसर का लाभ उठाने में मदद करने का है। मुस्लिम समुदाय का विशाल तबका स्व–रोजगार के क्रियाकलापों में लगा हुआ है। इसके अलावा, एक उल्लेखनीय अनुपात, विशेषकर महिलाएं, वास्तव में गृह–आधारित कार्य में लगी हुई हैं। जबकि इनमें से कुछ कार्मिक उन क्षेत्रों में लगे हुए हैं जिनमें विकास हुआ है, वही बहुत से लोग उन व्यवसायों/क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जिनका विकास स्थिर है। विकासोन्मुख क्षेत्रों में कामगारों की मदद करने के लिए एक नीति की जरूरत है, ताकि वे उस क्षेत्र में कार्य कर रही बाजारोन्मुख फर्मों के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन सके। गतिहीन क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों के लिए परिर्वतन मार्ग तैयार करना होगा। इन दोनों कार्यनीतियों में कौशल उन्नयन, शिक्षा एवं ऋण उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

1.8 राष्ट्रीय कौशल नीति में यह परिकल्पना है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान प्रेरक बल हैं। उच्च और बेहतर स्तर का कौशल रखने वाले देश चुनौतियों और अवसरों का अधिक प्रभागी ढंग से समायोजन करते हैं।

1.9 भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के संक्रमण में है और इसके प्रतियोगी रुख का निर्धारण देश के लोगों में ज्ञान के सृजन, इसको बांटने और इसका और प्रभावी ढंग से

उपयोग करने की योग्यताओं द्वारा किया जाएगा। इस परिवर्तन के लिए भारत को अपने कार्मिकों को ज्ञानी कार्मिक बनाने की जरूरत होगी जो अधिक नम्य, विश्लेषक, अनुकूलन योग्य एवं बहु कौशल प्राप्त हों।

1.10 भारत को "जनसांख्यकीय लाभ" प्राप्त है। समुचित कौशल विकास के माध्यम से जनसांख्यकीय लाभ का उपयोग करके देश को समावेशन एवं उत्पादकता प्राप्त करने का अवसर तो मिलेगा ही और इसके साथ–साथ वैश्विक कौशल कमियों को भी पूरा किया जा सकेगा। इस प्रकार, बड़े पैमाने के कौशल विकास की तुरंत आवश्यकता है।

उपर्युक्त बिन्दुओं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु ''अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण'' के संबंध में कार्यसमूह की सिफारिशों के मद्देनजर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का वित्त वर्ष 2013–14 से ''अल्पसंख्यकों के कौषल विकास'' हेतु एक नई 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना ''सीखो और कमाओ'' को क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं:

2. उद्देश्य

2.1 12वीं योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी दर को कम करना।

2.2 अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशलों का संरक्षण करना एवं उनका उन्नयन करना तथा उन्हें बाजार के साथ जोड़ना।

2.3 मौजूदा कार्मिकों की रोजगारपरकता को बेहतर बनाना तथा उनका स्थापन (प्लेसमेंट) सुनिश्चित करना और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना, आदि।

2.4 हाशिये पर रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए आजीविका के बेहतर साधन पैदा करना तथा उन्हें मुख्य धारा में लाना।

2.5 बढ़ते हुए बाजार में अवसरों का लाभ उठाने में अल्पसंख्यकों को सक्षम बनाना।

2.6 देश के लिए सशक्त मानव संसाधन तैयार करना।

3. योजना का कार्यक्षेत्र

3.1 इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आधुनिक/परम्परागत व्यवसायों के अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों का उनकी शैक्षणिक अर्हता, वर्तमान आर्थिक रुझान एवं बाजार की संभाव्यता के आधार पर उन्नयन करना होगा जिससे उन्हें एक उपयुक्त रोजगार मिल सके अथवा वे स्व–रोजगार के लिए समुचित रूप से कुशल हो सकें।

3.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा अनुमोदित मॉडयूलर रोजगार योग्य कौशलों (एमईएस) हेतु कौशल विकास कार्यक्रम की शुरूआत करेगा। एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित एमइएस पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अपनाए जा रहे बहुत से पारंपरिक कौशल जैसे कि कढ़ाई, चिकनकारी, जरदोजी, पैचवर्क, रत्न एवं आभूषण, बुनाई, काष्ठ कार्य, चमड़े की वस्तुएं कांस्य धातु कार्य, कांच के बर्तन, कालीन इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित अन्य पाठ्यक्रम भी किसी विशिष्ट राज्य अथवा क्षेत्र में मांग एवं स्थानीय बाजार की क्षमता के आधार पर शुरू किए जा सकते हैं। इससे एक तरफ अल्पसंख्यकों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक कलाओं और शिल्पों का संरक्षण करने तथा दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदायों को बाजार की चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

4. पात्रता

4.1 योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित परियोजना क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से किया जाएगाः

(क) सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य सरकारों/संघ राज्यों के प्रशासनों की सोसायटियां। यह सोसायटियां राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के आकार के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर अथवा जिला स्तर पर गठित की जा सकती हैं। यह सोसायटियां अपने–अपने राज्य /संघ राज्य क्षेत्र एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रायोजक अल्पसंख्यक उम्मीदवारों में रोजगार की क्षमता की पहचान के लिए उनके प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट की मॉनीटरिंग की जिम्मेदार होंगी।

(ख) कोई भी प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त/पंजीकृत व्यावसायिक संस्थान जो कम से कम विगत 3 वर्षों में कौशल विकास के पाठयक्रमों का आयोजन करता हो और जो स्थापित बाजार से संबद्ध हो तथा प्लेसमेंट रिकार्ड हो।

(ग) कोई भी उद्योग अथवा उद्योगों की ऐसोसिएशन जैसे कि एसोचैम, सीआईआई, फिक्की इत्यादि जो प्लेसमेंट की समुचित प्लान के साथ योजना के वित्तीय मानकों के अनुसार ऐसे कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करने के इच्छुक हों।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों सहित केन्द्र/राज्य सरकारों का कोई भी संस्थान तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों सहित केन्द्र/राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान।

(ड़) निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सिविल सोसाईटियां (सीएस)/गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ):

(i) समुदायों, विशेषकर, अल्पसंख्यकों के सामाजिक कल्याण के संचालन तथा संवर्धन में लगी कोई भी पंजीकृत सिविल सोसाईटी/एनजीओ।

(ii) संगठन कम से कम विगत 3 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।

(iii) कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो।

(iv) संगठन की वित्तीय अर्थक्षमता तथा मंत्रालय की ओर से सहायता न मिलने की स्थिति में सीमित अवधियों के लिए कार्य को जारी रखने की योग्यता।

(v) अच्छी साख एंव विश्वसनीयता।

(vi) अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर, अल्पसंख्यक महिलाओं को जुटाने की क्षमता।

(vii) आबंटित संसाधनों तथा सृजित परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग।

(च) केन्द्रीय/राज्य के किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा काली सूची में डाले गए अथवा वहिष्कृत किए गए संगठन पात्र नहीं होंगे।

4.2 पात्र प्रशिक्षणार्थी / लाभार्थी

(क) प्रशिक्षणार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए।

(ख) प्रशिक्षणार्थी की आयु 14–35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ग) प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम शिक्षा कम से कम 5वीं कक्षा तक होनी चाहिए।

(घ) इस योजना के अधीन विहित अनुसार आरक्षित श्रेणियों के रिक्त रहने की स्थिति में ये रिक्त सीटें अनारक्षित समझी जाएंगी।

5. योजना के संघटक

5.1 यह योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित 5 (पाँच) अल्पसंख्यक समुदायों (यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं पारसी) के लाभ के लिए क्रियान्वित की जाएगी। तथापि, उन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों जहां संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा अधिसूचित कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वहां उन पर भी कार्यक्रम हेतु विचार किया जा सकता है, किन्तु वे कुल सीटों के 5: से ज्यादा के हकदार नहीं होगे।

5.2 इस योजना की शुरुआत देश में कहीं पर भी की जा सकती है, किन्तु प्राथमिकता उन संगठनों को दी जाएगी जिसका उद्देश्य सुनिश्चत बाजार संबंधों से अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशल का विकास करना तथा अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों / ब्लॉकों / नगरों / गावों के समूहों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रम का प्रस्ताव करना है। योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा व्यवहार में लायी जा रही कलाओं और शिल्पों सहित पारंपरिक कौशलों का संवर्धन करने के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी तथा राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार के साथ उनका संबंध स्थापित किया जाएगा। साथ ही, क्षेत्र में रोजगार क्षमता वाले विभिन्न आधुनिक ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.3 क्रियान्वयनकर्ता संगठन द्वारा व्यापारों का प्रस्ताव करने से पूर्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में लक्षित जनसंख्या, वर्तमान आर्थिक रुझान एवं बाजार की संभाव्यता के आधार पर पहले से ही रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा।

5.4 परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी (पीआईए) जागरुकता का प्रसार करने, विकल्प सृजित करने तथा यह सुनिश्चत करने के लिए कि कौशल प्रक्रिया में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पर्याप्त रूप से पुरी हो रही हैं, उद्योग के संयोजन से ''जॉब फेयर्स'' तथा ''जॉब काउन्सलिंग'' के लिए तंत्रों को सक्रिय करने पर विचार कर सकता है।

5.5 क्रियान्वयनकर्ता संगठनों के लिए एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना अपेक्षित होगा जो उम्मीदवारों को उन व्यापारों के लिए प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रदान करेगा जिनमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण का मॉड्यूल एनसीवीटी/रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेषालय/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

5.6 क्रियान्वयनकर्ता संगठन प्लेसमेंट सेवाओं के साथ भी संबंध स्थापित करेगा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त स्व–रोगजार के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए संगठन वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), बैंकों इत्यादि के माध्यम से सुगम लघु वित्त/ऋण की व्यवस्था करेगा।

5.7 न्यूनतम 33: सीटें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी।

5.8 उन संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी जो समग्र रूप से 75: प्लेसमेंट की गारंटी देंगे और उसमें से कम से कम 50: प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

5.9 योजना के दो संघटक होंगे:

(क) आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) पारंपरिक व्यापारों/शिल्पों/कला स्वरूपों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(क) आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम:

(i) प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यूनतम 3 माह की अवधि का होना है।

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम में सॉट कौशल प्रशिक्षण, बेसिक आईटी प्रशिक्षण तथा बेसिक अंग्रेजी प्रशिक्षण शामिल किया जाना चाहिए।

(iii) इस कार्यक्रम का केंद्रबिंदु यह है कि प्रशिक्षण से युवाओं को लाभकारी और सतत किस्म का रोजगार मिले।

(iv) प्रत्येक प्रतिभागी इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध क्षेत्र विशिष्ट व्यावसायिक कौशल कार्यक्रम के विकल्पों में से अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

(अ) कौशल प्रशिक्षण का केंद्रबिंदु उद्योग तत्परता पर होना चाहिए और इसे एमइएस दिशानिर्देशों का अनुपालक होना चाहिए।

(अप) आधुनिक कौशलों हेतु कौशल प्रशिक्षण के उपरान्त 75: प्लेसमेंट होना चाहिए और उसमें से कम से कम 50: प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

(ख) परंपरागत ट्रेडों हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमः

(i) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को निम्नलिखित क्रियाकलापों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अपेक्षित रोजगारपरकता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

i. पारंपरिक ट्रेडों में लगे हुए युवाओं की पहचान और स्व–सहायता समूहों (एसएचजी)/प्रायोजक कंपनियों में समूहीकरण। स्व–सहायता समूहों में औसतन 20 सदस्य होंगे।

ii. युवाओं को उनके कौशल स्तरों (विषय प्रशिक्षण, उद्यमिता प्रशिक्षण, सॉट कौशल, आईटी प्रशिक्षण, अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण) को बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था जो स्व–सहायता समूह को बाजार उन्मुख उत्पादन मॉडल विकसित करने में सक्षम बना सके।

iii. अग्रवर्ती (ग्राहक पहुँच) तथा पूर्ववर्ती लिंकेज (विक्रेता पहुँच) मुहैया कराना। इनको समझौता ज्ञापन की व्यवस्था के माध्यम से स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।

iv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) सहित

विभिन्न वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत किए जाने हेतु व्यापार योजना प्रस्ताव तैयार करने में सहायता देना। इन प्रयासों के माध्यम से स्व–सहायता समूह के लिए निधियां जुटाना।

ii. एसएचजी/उत्पादक कंपनी के लिए प्रबंधन दल की सेवायें किराये पर लेने में सहायता देना।

(ii) ये कार्यक्रम न्यूनतम 02 माह तथा चुनिंदा ट्रेड के लिए अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिए है।

(iii) इस कार्यक्रम का केंद्रबिंदु यह है कि इन क्रियाकलापों के उपरान्त युवाओं के लिए आय को बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए उनके माध्यम से स्थापना और प्रचालन हेतु निधियों की उपलब्धता सहित कौशल युवाओं के स्व–सहायता समूह का सृजन किया जाना चाहिए।

(iv) कौशल प्रशिक्षण का केंद्रबिंदु उद्योग तत्परता पर होना चाहिए और इसे मॉड्यूलर रोजगारपरक कौशल (एमईएस) दिशा–निर्देशों का अनुपालक होना चाहिए।

5.10 प्रशिक्षुओं को आधार/यूआईडी संख्या, यदि उपलब्ध हो अथवा अन्य किसी सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान संख्या से जोड़ा जाएगा।

5.11 संगठन संस्थान में नामांकित बाह्य स्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासीय सुविधाएं (पुरूष एवं महिला प्रशिक्षुओं के लिए अलग–अलग) सुनिश्चित करेगा। प्रशिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रषिणार्थियों के लिए आषयित होंगे। तथापि, अंतर–समुदाय समैक्य को बढ़ावा देने के लिए गैर–अल्पसंख्यक समुदायों के बीपीएल परिवारों से संबंधित 15% उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित निःशक्त व्यक्तियों के लिए भी 2.5% आरक्षित किया जाएगा।

5.12 संगठन के पास गुणवत्तापरक प्रशिक्षण संचालित करने के लिए पर्याप्त कक्षाएं, प्रदर्शन सुविधाएं, प्रसाधन (महिलाओं हेतु अलग प्रसाधन सहित) तथा अवसंरचना इत्यादि होनी चाहिए।

लागत शीर्ष	अधिकतम अनुमत्य व्यय (आईएनआर)
कंप्यूटरों, मेजों, कुर्सियों, वर्क स्टेशनों इत्यादि सहित किराए संबंधी/पट्टा व्यय।	
किराए संबंधी, बिजली, पानी, जेनरेटर तथा अन्य संचालन व्ययों सहित प्रशिक्षण केन्द्रों का ओएण्डएम	प्रति उम्मीदवार अधिकतम
प्रशिक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन, चाय एवं यात्रा संबंधी खर्च	20000 रूपये
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा इंडक्शन	
प्रशिक्षकों एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों का वेतन, लर्निंग किट, मूल्याकन एवं प्रमाणीकरण सहित प्रशिक्षण खर्च	
एमआईएस वेबसाईट, ट्रैकिंग तथा अन्य मौनिटेरिंग सहित संस्थागत अधिशीर्ष (उपर्युक्त सभी का अधिकतम 10%)	
2000 रूपये प्रति माह की दर से प्लेसमेंट उपरान्त सहायता (प्लेस किए गए सभी उम्मीदवारों को प्लेसमेंट के उपरान्त 2 माह के लिए दिया जाएगा)	4000
उप–योग	24000
प्लेसमेंट के उपरान्त सहायता को छोड़कर सभी लागतों की 5% की प्रोत्साहन राशि उन पीआईए को देय होगी जो परियोजना को सफलतापूर्वक यथासमय और सभी शर्तों को पूरा करते हों।	**1000**
कुल लागत	**25000**

6. वित्तपोषण का स्वरूप

(क) यह 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है तथा पैनल में शामिल किए गए पात्र संगठनों के माध्यम से सीधे मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

(ख) निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं की संपूर्ण लागत का वहन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(ग) परियोजना लागत की 5% की प्रोत्साहन राशि उन पीआईए को देय होगी जो परियोजना को सफलतापूर्वक यथासमय पूरा करते हों तथा प्लेसमेंट सहित सारी शर्तों को भी पूरा करते हों।

(घ) **प्लेसमेंट से जुड़े संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों हेतु प्रति लाभार्थी** लागत मानक निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं तथा लागत ब्यौरे में नीचे दिए गए सभी संघटकों को अलग से शामिल किया जाना चाहिए :

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित लागतें भी स्वीकार्य होंगी :

(i) बाह्य स्थान के लाभार्थी को 3 महीने के लिए भोजन/आवास (जिसके लिए संगठन आवासीय सुविधा की व्यवस्था करता है) 3 (तीन) महीने के लिए 1500 रूपये प्रति माह की दर पर। लाभार्थी प्रतिमाह 750 रूपये की दर से मासिक वज़ीफे का भी हकदार होगा।

(ii) स्थानीय गैर–आवासीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए मासिक वजीफा 1500 रूपये प्रति माह होगा।

(iii) पारंपरिक ट्रेडों के कौशल प्रषिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों हेतु लागत मानक निम्नानुसार हैं:

संगठन को गैर–आवासीय कार्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 10000/– रूपये तथा आवासीय कार्यक्रम के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 13000/– रूपये प्रतिमाह की दर से लागत दी जाएगी जिसमें अग्रलिखित शामिल होगाः (संगठन/संस्थान कार्यक्रम की अवधि के आधार पर आकलन प्रस्तुत करेंगे) (साथ ही इसमें एसएचजी निर्माण, प्रशिक्षण निधियां

जुटाना, अग्रवर्ती एवं पूर्ववर्ती लिंकेज स्थापित करना तथा प्रबंधकीय टीम की सेवाएं किराए पर लेना शामिल हैं)

(i) बाह्य स्थान के लाभार्थी को 3 महीने के लिए भोजन/आवास (जिसके लिए संगठन आवासीय सुविधा की व्यवस्था करता है) 3 (तीन) महीने के लिए 1500 रूपये प्रति माह की दर पर। लाभार्थी प्रतिमाह 750 रूपये की दर पर मासिक वज़ीफे का भी हकदार होगा।

(ii) स्थानीय गैर–आवासीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए मासिक वजीफा 1500 रूपये प्रति माह होगा।

(iii) कच्चा माल इत्यादि के खरीद हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 2000/– रूपये एकबारगी लागत के रूप में।

(iv) संकाय/सहायक स्टॉफ इत्यादि को मासिक पारिश्रमिक।

(v) अन्य प्रशिक्षण लागत।

(vi) परीक्षण एवं प्रमाणीकरण शुल्क।

7. निधियों की निर्मुक्ति

(i) परियोजना के अनुमोदन पर, निधियां 3 किस्तों में निर्मुक्त की जाएंगी अर्थात 40%40%20+ प्रोत्साहन राशि (यदि लागू हो) निर्मुक्ति की निधियां पीआईए को उनके खाते में इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण द्वारा सीधे संवितरित की जाएंगी।

(ii) निधियों की निर्मुक्ति के किस्त का स्वरूप निम्नानुसार होगाः

1. प्रथम किस्तः

प्रथम किस्त (अर्थात परियोजना लागत का 40%) परियोजना के अनुमोदन के उपरांत तथा पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन होने के उपरांत निर्मुक्त की जाएगी।

2. दूसरी किस्तः

परियोजना लागत के 40% की दूसरी किस्त निम्नलिखित अनुपालन के अध्यधीन जारी की जाएगीः

क. लेखा–परीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र के साथ पहली किस्त के 60% का उपयोग और तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा पीआईए लेखों का साप्ताहिक ऑफ–साईट (अर्थात् ऑनलाइन) और मासिक ऑन–साईट निरीक्षण। इस जांच से यह सुनिश्चित किया जाना है कि साप्ताहिक और मासिक लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है।

ख. परियोजना के पूर्ववर्ती वर्षों की वर्ष–वार लेखा परीक्षित रिपोर्टें देय हो जाने पर तुरंत प्रस्तुत करना।

3. तीसरी किस्त (अंतिम किस्त):

परियोजना लागत के 20% + प्रोत्साहन राशि (यदि लागू हो) की तीसरी किस्त जारी की जाएगीः

क. मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट।

ख. लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है।

ग. परियोजनाओं में यथा अपेक्षित प्रदानगियां पूरी कर ली जाती हैं और वास्तविक तथा वित्तीय दोनों रूपों में एमआईएस आंकड़ों के आकस्मिक वास्तविक सत्यापन के माध्यम से तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा सत्यापित कर दी जाती हैं।

घ. किए गए प्लेसमेंट का निर्धारित प्रपत्र में ब्यौरा।

ङ. स्व–नियोजित प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रपत्र में ब्यौरे।

8. आवेदन की प्रक्रिया

8.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संगठनों/संस्थानों से उन्हें पैनल में शामिल करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन और मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट के माध्यम से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेगा।

8.2 पैनल में शामिल करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति की जांच मंत्रालय की जांच समिति द्वारा की जाएगी। पैनल में शामिल किया जाना सम्पूर्ण बारहवीं योजना अवधि के लिए वैध होगा। तथापि, मंत्रालय के पास बिना कोई सूचना दिए किसी स्तर पर पैनल में शामिल किए जाने को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

8.3 मंत्रालय अपेक्षानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संगठनों को पैनल में शामिल कर सकता है।

8.4 मंत्रालय तकनीकी सहायता एजेंसी के माध्यम से संगठनों के प्रमाण–पत्रों को सत्यापित कर सकता है।

8.5 पैनल में शामिल संगठनों के प्रस्तावों पर निम्नलिखित मंजूरी दाता समिति द्वारा विचार किया जाएगाः

1	मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिव	अध्यक्ष
2	योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
3	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
4	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार का प्रतिनिधि	सदस्य
5	मंत्रालय में निदेशक (एमएसडीपी)	सदस्य
6	निदेशक (योजना से संबंधित)	सदस्य–सचिव

8.6 मंजूरी दाता समिति द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्ताव सचिव (अल्पसंख्यक कार्य) द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

8.7 उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक मार्ग का भी अनुसरण कर सकता है। मंत्रालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने और प्रशिक्षित अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के 100% प्लेसमेंट के लिए उद्योगों अथवा औद्योगिक एसोसिएशनों के साथ समझौता ज्ञापन कर सकता है।

9. परियोजना की अवधि और उसके संघटक

i. 'सीखो और कमाओ' कार्यक्रम के अंतर्गत, परियोजना की कुल अवधि 12वीं पंचवर्षीय योजना के सह–कालिक होगी।

ii. आधुनिक कौशलों के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि तकनीकी कौशलों, सॉफ्ट कौशलों और जीवन कौशलों सहित कौशल सेट पर आधारित न्यूनतम 3 माह होगी।

iii. परम्परागत कौशलों के लिए प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि ट्रेड के आधार पर अधिकतम 1 वर्ष की होगी। इस कार्यक्रम में स्व–सहायता समूहों/प्रोड्यूसर कंपनियों का बनाया जाना शामिल होगा।

10. प्लेसमेंट और प्लेसमेंट के पश्चात सहायता

चूंकि इस कार्यक्रम का केंद्रबिंदु सार्थक रोजगार प्रदान करना है, अतः निम्नलिखित कुछ सामान्य प्लेसमेंट भार्तें हैं, जिन्हें पीआईए द्वारा पूरा किया जाना है:

(i) सभी अभ्यर्थियों के लिए प्लेसमेंट सहायता और परामर्श सहायता की पेशाकश की जानी चाहिए और न्यूनतम 75% अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट तथा कम से कम 50% का संगठित क्षेत्र में, सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ii) जहां तक संभव हो, प्लेसमेंट न्यूनतम स्थान परिवर्तन किए बिना किया जाना चाहिए।

(iii) प्लेसमेंट पश्चात सहायता (पीपीएस) का उद्देश्य अभ्यर्थियों को रोजगार के प्रारंभिक महीनों में उन्हें स्थापित करने और उनका देख–रेख करने में सहायता करना है।

(iv) पीपीएस का वितरण पीआईए के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों में से एक है।

(v) वरीय रूप में, प्लेसमेंट पीएफ, ईएसआई आदि जैसे संबद्ध लाभों के साथ संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

(vi) चूंकि निर्माण जैसे कुछ क्षेत्र बहुत संगठित नहीं हैं, किंतु इनमें भुगतान ज्यादातर संगठित क्षेत्र से अधिक होता है, अतः अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों पर निम्नलिखित भार्तों के अध्यधीन विचार किया जाएगाः

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कौशलों का किसी विशेष नौकरी से सुमेल हो।

(ख) भविष्य में वैध प्रगति की पेशकश हो।

(vii) अनौपचारिक क्षेत्र में प्लेसमेंट में तभी विचार किया जाना चाहिए, जब निम्नलिखित भार्तें पूरी होती होंः

(क) राज्य की न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन देने वाला प्रस्ताव–पत्र।

(ख) नियोक्ता का प्रमाण–पत्र कि मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अनुसार किया गया है।

(ग) नौकरियां पूर्णतः अस्थायी नहीं होनी चाहिए और उनमें स्थिरता हो।

(viii) अभ्यर्थी को प्लेस किया हुआ माना जाएगा, यदि वह प्रशिक्षण के पश्चात कम से कम लगातार तीन महीनों के लिए नौकरी में बना रहता है/बनी रहती है। निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक को प्लेसमेंट के सबूत के रूप में माना जाएगा।

1. नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्चियां।

2. वेतन के खाते में जमा करने के साथ अभ्यर्थी के बैंक खाते की खाता विवरणी।

3. अभ्यर्थी के नाम और वेतन ब्यौरे वाला पत्र।

(ix) पीआईए को प्लेसमेंट के पश्चात के कार्य को सुनिश्चित करना और इस बात की निगरानी करना है कि नई नौकरियां एक वर्ष की अवधि तक बनी रहें।

11. सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस)

(क) कार्यक्रम की गुणवत्ता के प्रबंधन की सतत आकलन किए जाने और उसे बनाए रखने के लिए जानकारी अपेक्षित है। इसे नियमित ट्रेकिंग और अनुवर्तन के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा निर्धारित आरूपों और मानकों के अनुसार एमआईएस का अनुरक्षण पीआईए द्वारा किया जाना है।

(ख) परियोजना के लिए वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस), निर्णय समर्थन प्रणालियां (डीएसएस) जैसी विभिन्न परियोजना सेवाओं के आयोजन और प्रदानगी के लिए आईसीटी मंच का उपयोग करना। कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रतिभागी विशिष्ट सूचना रखनी होगी और सभी लागू सूचना प्रदायक अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। सूचना की प्रविष्टि की नियमितता और गुणवत्ता मंत्रालय अथवा नियुक्त टीएसए द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ग) पीआईए प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात एक वर्ष के लिए ट्रेकिंग आंकड़ा का अनुरक्षण करेगा और प्रशिक्षणार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए वास्तविक–समय वेब आधारित प्रणाली पर उसका अनुरक्षण करेगा।

12. ज्ञान सहभागी/तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए), पर्यवेक्षण और गुणवत्ता प्रबंधन

12.1 मंत्रालय न केवल मूल्यांकन के लिए सूचीबद्ध संघटकों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह बनाएगा, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों और जांचों की व्यवस्था करेगा कि वास्तविक रूप में जो कुछ हो रहा है वह कारगर है और उसका सतत पर्यवेक्षण किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, मंत्रालय योजना के प्रारंभ से ही सामान्य वित्तीय

नियमों के अंतर्गत निर्धारित समुचित प्रक्रिया के अनुसरण में **"ज्ञान सहभागी / तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए)"** के रूप में कौशल विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त एजेंसी को लगाएगा।

12.2 टीएसए क्षेत्र विशिष्ट कार्यनीतियों की युक्ति निकालने, परियोजना आरूप, प्रशिक्षण तैयार करने, निष्पादक संकेतकों का विकास करने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सहायता करेगा।

12.3 टीएसए निम्नलिखित प्रक्रियाओं के पर्यवेक्षण के लिए समुचित नवाचार विकसित करेगाः

(क) यह सुनिश्चित करना कि पीआईए समुचित तैयारी के साथ–साथ अभ्यर्थी के चयन और परामर्शन हेतु रणनीतियों को अपनाए।

(ख) निर्धारित प्रमाणन और प्रत्यायन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) परियोजना को भाुरू करने की अनुमति के पूर्व पीआईए के कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर न्यूनतम प्रशिक्षण अवसंरचना तथा अपेक्षित मानव संसाधन का मौजूद होना।

(घ) पूर्व–निर्धारित समय अंतरालों पर अपेक्षित एमआईएस प्रविष्टियों का अद्यतन किया जाना।

(ङ) मंत्रालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित पारदर्शिता अपेक्षाओं का पीआईए द्वारा अनुपालन।

(च) समय–समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों का रख–रखाव।

(छ) प्रदान किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रशिक्षणार्थियों की पूरे समय भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ज) निधियां जारी करना।

(झ) पीआईए, प्रशिक्षकों, अभ्यर्थियों और नियोक्ताओं के लिए शिकायत निपटान व्यवस्थाएं।

(ण) परियोजनाओं की नियमित समीक्षा।

12.4 टीएसए अथवा इसका कोई अनुशंगी संगठन/फ्रैंचाइजी परियोजना कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के पैनल में भाामिल होने का पात्र नहीं होगा।

12.5 मंत्रालय पर्यवेक्षण के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित करेगा और सभी पीआईए को इस तंत्र के मानकों का अनुपालन करना होगा।

12.6 टीएसए को नियोजित करने और योजना के प्रबंधन के लिए वार्षिक बजट के लगभग 3% के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।

13. परियोजना की निगरानी

(i) प्रगति को सतत रूप में मापना निगरानी है, जब परियोजना चल रही हो, जिसमें प्रगति की जांच करना और मापना, स्थिति का विश्लेषण करना और नई घटनाओं, अवसरों तथा मुद्दों पर प्रतिक्रिया करना शाामिल है। मंत्रालय टीएसए अथवा किसी अन्य एजेंसी को समवर्ती निगरानी और एमआईएस के वास्तविक तथा वित्तीय रिपोर्टों की औचक जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मंत्रालय के अधिकारी भी परियोजनाओं की निगरानी कर सकते हैं। इससे एकत्र की गई सूचना को निधियों को जारी करने तथा परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए निर्णय करने की प्रक्रिया में रखा जाएगा।

(ii) निगरानी में प्रशिक्षण केंद्रों पर औचक दौरे किए जा सकते हैं और इसे मान्यता देने के लिए :

(क) समुचित आव यकताओं के अनुसार न्यूनतम अवसंरचना के उपलब्ध होने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) लाभार्थियों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए घर–घर जाकर सर्वेक्षण/पर्यवेक्षण करने की एमआईएस प्रविश्टियां।

(ग) उन अभ्यर्थियों के निवास क्षेत्र के पास प्र िक्षण, प्लेसमेंट और बनाए रखने के तथ्यों का लाभार्थी के परिवार के सदस्यों से मिलकर प्रमाणन करना, जो परियोजना के अंतर्गत प्र िक्षित किए गए और जिनकी तैनाती पंचायत के बाहर की गई।

14. लेखापरीक्षा

(i) मंत्रालय के पास परियोजना के लेखों की लेखा परीक्षा कराने का अधिकार सुरक्षित है, यदि इसे आव यक समझा जाता है, इसमें सीएजी द्वारा और मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लेखा–परीक्षा भामिल है। पीआईए इस प्रयोजन के लिए सभी संगत अभिलेखों को मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसी के अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा।

(ii) वित्तीय लेखा–परीक्षा सांविधिक उपबंधों के अनुसार पीआईए के चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की जानी है, और परियोजना के लेखों का अनुरक्षण सार्थक लेखा–परीक्षा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अलग से किया जाएगा।

(iii) परियोजना के अंतर्गत लेखा परीक्षक की टिप्पणियों और वास्तविक प्रगति पर की गई कार्रवाई के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट केंद्रीय निधि की दूसरी/तीसरी किस्त के जारी किए जाने के समय प्रस्तुत की जाएगी।

15. परियोजना का पूर्ण होना

(i) परियोजना के पूर्ण होने की रिपोर्ट लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र के साथ और तीसरी (अंतिम) किस्त जारी किए जाने के पूर्व दूसरी किस्त की लेखा परीक्षा रिपोर्टें मंत्रालय को पीआईए द्वारा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(ii) प्रलेखन (वीडियों, आडियो और फोटोग्राफ सहित) वीडियों रिकार्डिंग के साथ परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें परियोजना के पूर्व और पश्चात लाभार्थियों की स्थिति दी जाती है। इसमें परियोजना में दर्शाए गए अनुसार प्रदानगियों के ब्यौरे और इन प्रदानगियों की तुलना में हुई उपलब्धियां भाामिल होनी चाहिए।

16. निबंधन एवं भार्तें

16.1 कार्यान्वयन एजेंसियां **परिशिष्ट** पर दी गई इस योजना के निबंधन और भार्तों द्वारा बाध्य होंगी।

17. मध्यावधि मूल्यांकन

योजना का 3 (तीन) वर्षों के पश्चात मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा और प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए मूल्यांकन तथा प्रभाव आकलन के पश्चात 12वीं योजना अवधि के अंतिम वर्ष में समीक्षा की जाएगी।

केंद्रीय क्षेत्र की सीखो और कमाओ योजना से संबंधित निबंधन एवं भार्तें अल्पसंख्यकों का कौशल विकास

योजना के अंतर्गत संस्वीकृत सहायता–अनुदान कार्यान्वयन संगठनों/संस्थानों द्वारा निम्नलिखित निबंधन एवं भार्तों के पूरा करने के अध्यधीन है :

1. कि संगठन, जो योजना के अंतर्गत सहायता–अनुदान प्राप्त करने का इच्छुक है, योजना के अंतर्गत यथा विहित पात्रता मानदंड को पूरा करेगा;

2. अनुदान का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, यह परियोजना के गुणावगुण आधार पर भारत सरकार के पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है;

3. कि संगठन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के भारूआत में इस आशय की लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि इस दस्तावेज में समाविष्ट तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर यथा संषोधित भार्तें उसे स्वीकार्य हैं;

4. कि संगठन भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 20 रु0 के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय का एक बाँड निष्पादित करेगा कि वह अनुदान और योजना से संबंधित उन निबंधन एवं भार्तों का पालन करेगा, जो समय–समय पर संशोधित की जाती हैं और यह कि उसके अनुपालन में असफल रहने के मामले में, वह सरकार को इस परियोजनार्थ संस्वीकृत कुल सहायता–अनुदान को उस पर लगने वाले ब्याज के साथ सरकार को लौटा देगा और कानून के अनुसार आपराधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेवार होगा;

5. कि मंत्रालय परियोजना को चलाने के लिए संगठन द्वारा नियुक्त अस्थायी/नियमित कर्मचारियों को किसी किस्म के भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा;

6. कि संगठन इस अनुदान के संबंध में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में अलग से एक खाता रखेगा। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को 10,000/– रु0 और उससे ऊपर की अंतर्ग्रस्त सभी प्राप्तियां और भुगतान चैक के माध्यम से ही किए जाएंगे। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से परियोजना को जारी रखने के लिए अनुदान मांगने के समय संस्वीकृत परियोजना को चलाने के संबंध में किए गए सभी सौदों को दर्शाने वाली बैंक पास बुक की एक प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ये खाते मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, भारत सरकार, अथवा संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों/अधिकारियों को

किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। संगठन या तो सीएजी के पैनल में भाामिल लेखा परीक्षकों अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा लेखा परीक्षिक सहायता–अनुदान लेखाओं को रखेगा और हर–हालत में प्रत्येक वर्ष के जून माह के अंतिम सप्ताह तक मंत्रालय को सा0वि0नि0 19(क) में उपयोग प्रमाण पत्र के साथ लेखा परीक्षित लेखाओं की प्रति भेजेगा :

(क) वर्ष के लिए मांगे गए सहायता–अनुदान की प्राप्ति और भुगतान लेखा;

(ख) वर्ष के लिए मांगे गए सहायता–अनुदान की आय और व्यय के लेखे;

(ग) मांगे गए सहायता–अनुदान से परिसंपत्तियों और दायित्वों को दर्शाने वाला तुलन पत्र;

(घ) मद–वार ब्यौरा के साथ सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र (सा0 वि0 नि0 – 19(क) में उपयोग–प्रमाण पत्र;

(ङ) वर्ष के लिए संपूर्ण रूप में संगठन के लेखा परीक्षित लेखे।

7. संगठन मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित निश्पादन–सह–उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए उसने सहायता–अनुदान प्राप्त किया है;

8. कि सहायता–अनुदान की मदद से प्रदान की जाने वाली सुविधाएं पंथ, धर्म, रंग आदि का ध्यान दिए बिना सभी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उपलब्ध होंगी;

9. संगठन सरकारी स्रोतों सहित किसी अन्य स्रोत से उसी प्रयोजन/परियोजना के लिए अनुदान–प्राप्त नहीं करेगा। यदि वह अन्य स्रोतों से भी उसी परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त करता है, तो इसे प्राप्त करने के तुरंत पश्चात् समुचित संदर्भ के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सूचित करना होगा;

10. संगठन, सहायता–अनुदान को पथांतरित नहीं करेगा अथवा उस परियोजना का निष्पादन किसी अन्य संगठन या संस्थान को नहीं सौंपेगा, जिसके लिए सहायता–अनुदान स्वीकृत किया गया है;

11. कि यदि सरकार परियोजना की प्रगति से संतुश्ट नहीं है अथवा यह समझती है कि योजना के दिशा–निर्देशों, स्वीकृति की निबंधन एवं भार्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसके पास तत्काल प्रभाव से सहायता–अनुदान को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और वह पूर्व सूचना के साथ अथवा इसके बिना ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकती है, जो वह

उचित समझे। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा किसी संगठन को एक बार काली सूची में डाल दिए जाने पर, उसे भविश्य में अनुदान देने हेतु मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, चाहे उसे किसी समय काली सूची से हटा ही दिया गया हो;

12. कि परियोजना के नवीकरण के समय अनुदान का कोई अव्ययित भोष मंत्रालय द्वारा बाद में अनुमेय अनुदान में समायोजित कर दिया जाएगा;

13. इस सहायता–अनुदान से पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से प्राप्त किसी परिसंपत्ति का निपटान अथवा बाधित नहीं किया जाएगा और अथवा जिसके लिए इसकी मंजूरी दी गई है, उससे इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा;

14. संगठन इस सहायता–अनुदान से प्राप्त की गई पूर्ण अथवा आंशिक स्थायी और अर्धस्थायी परिसंपत्तियों का सा0 वि0 नि0 (19) में रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा। यह रजिस्टर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालय के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। इस अनुदान के संबंध में रजिस्टर का अलग से अनुरक्षण किया जाएगा और लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ उसकी एक प्रति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी;

15. वार्षिक अनुदान की अंतिम किस्त को जारी किया जाना अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुसार वर्ष के दौरान पहले जारी की गई किस्तों के समुचित उपयोग का संगत साक्ष्य मुहैया कराने की भार्त पर होगा;

16. संगठनों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अन्य मौजूदा सेवाओं के तालमेल हेतु जिला प्रशासन के साथ संपर्क करना चाहिए। इन्हें स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी संपर्क कायम करना चाहिए और उनका सहायोग लेना चाहिए। सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए इनके पास संस्थागत व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए;

17. सामान्य वित्तीय नियम 150(2) के उपबंध वहां लागू होंगे, जहां गैर–सरकारी संगठनों को निर्धारित राशि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है;

18. संगठन समुचित रूप से ऐसे बोर्डों पर प्रदर्शित करेगा, जिस पर परियोजना स्थल के बारे में दर्शाया जाए कि यह परियोजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में चलाई जा रही है;

19. अनावर्ती मद्दों (यदि कोई हैं) की खरीद प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी कीमतो पर की जानी चाहिए और निरीक्षण के लिए बाउचर प्रस्तुत किए जाने चाहिए;

20. कि संगठन लाभार्थियों से कोई शुल्क नहीं लेगा;

21. नई परियोजनाओं के मामले में, संगठन परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख में इस मंत्रालय और राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचित करेगा और यह संगठन द्वारा उनके बैंक खाते में निधियों की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए;

22. कि संगठन इन अनुदानों से किसी धार्मिक / सांप्रदायिक / रूढ़िवादी / विभाजक विश्वासों अथवा सिद्धांतों की हिमायत नहीं करेगा अथवा बढ़ावा नहीं देगा;

23. न्यायालय मामले की स्थिति में, संगठन तब तक किसी सहायता–अनुदान का हकदार नहीं होगा, जब तक मामला न्यायालय में लंबित है; मंत्रालय कार्यान्वयनकर्ता संगठन और तीसरे पक्ष के बीच किसी कानूनी / बौद्धिक / संविदागत विवादों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनुदान स्वीकार करके, प्राप्तकर्ता इस भार्त को स्वीकार करता है;

24. अनुदानों को जारी किए जाने के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित **सभी विवादों के निपटान का अधिकार क्षेत्र दिल्ली न्यायालय होगा**;

25. संगठन को योजना के सभी उक्त निबंधन एवं भार्तों, दिशा–निर्देशों, सा0वि0नि0 के उपबंधों और उनमें किसी पष्चवर्ती संशोधन / परिवर्तन का अनुपालन करना होगा।

अध्यक्ष / सचिव / सीईओ के दिनांकित हस्ताक्षर

पूरा नाम

स्थान :

पद

दिनांक :

सरकारी मुहर

****